उत्तर प्रदेश शासन

लोक निर्माण अनुभाग-1

संख्या-204/2021/सा-1920/23-1-21-15सा0/21टीसी

लखनऊ:: दिनांक 27 सितम्बर, 2021

अधिसूचना

जनपद बागपत के दो मार्गों का नामकरण किये जाने के संबंध में प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र सं0-866/02आई0डी0एस0 प्रकोष्ठ/21, दिनांक 27.08.2021 एवं पत्र सं0-867/02आई0डी0एस0 प्रकोष्ठ/21, दिनांक 27.08.2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल निम्न विवरणानुसार नामकरण की सहर्ष अनुमति प्रदान करते है:-

क्र	जनपद	मार्ग का नाम	नामकरण
1	बागपत	टाण्डा-रमाला मार्ग(अन्य जिला मार्ग)	"चौधरी चरण सिंह मार्ग"
2	बागपत	छपरौली से किशनपुर बराल गांगनौली दोघट पुसार होते हुए बरनावा तक मार्ग(अन्य जिला मार्ग)	"चौधरी महेन्द्र सिंह टिकैत मार्ग"

गिरिजेश कुमार त्यागी

विशेष सचिव।

संख्या-204/2021/सा-1920 (1)/23-1-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश।
3. जिलाधिकारी, बागपत।
4. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
5. अधीक्षण अभियंता(नियोजन/परियोजना), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
6. निदेशक, मुद्रण लेखन सामग्री, उ0प्र0 प्रयागराज को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया आगामी गजट में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राज कुमार)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।